राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प 7(51)परि/नियम/मु./2011/36979   जयपुर, दिनांकः 05/06/2017

कार्यालय आदेश सख्या 22 /2017

विषय :– लर्नर लाइसैन्स बनवाने हेतु आने वाले आवेदको को "सुरक्षित ड्राईविंग नियम एवं जानकारी" की पुस्तिका दिये जाने के सम्बंध में।

प्रदेश में निरन्तर बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में लाइसेन्स बनवाने हेतु आने वाले आवेदकों को "सड़क सुरक्षा" के नियमों की जानकारी आवश्यक रूप से हो। प्रादेशिक एवं जिला परिवहन कार्यालयों में लाइसेंस के आवेदको को सड़क सुरक्षा से सम्बधिंत यातायात नियमों, सड़क पर प्रयुक्त चिन्हो इत्यादि की जानकारी देने हेतु वर्तमान में पृथक से कोई सुव्यस्थित सुदृढ़ व्यवस्था नही है।

विभाग द्वारा लाइसेंस के आवेदकों को "सड़क सुरक्षा" नियमों की जानकारी के प्रचार–प्रसार हेतु "सुरक्षित ड्राईविंग नियम एवं जानकारी" की पुस्तिका का प्रकाशन करवाया गया था। यह पाया गया है कि विभिन्न कार्यालयों द्वारा लाईसेंस के आवेदको को लर्निग लाइसेंस जारी करने से पूर्व उक्त पुस्तिका नही दी जाती है जो विभाग के सड़क सुरक्षा के प्रचार–प्रसार की नीति के अनुकुल नही है। विभाग द्वारा लर्निग लाइसेंस जारी करने का अधिकार कतिपय मोटर ड्राईविंग स्कूलों को भी प्रदत्त किये गये है। इन स्कूलों में भी इस पुस्तिका का वितरण नही किया जाता है।

अतः उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार आदेश प्रदान किये जाते हैः–

1. प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय में लर्निग लाइसेंस के आवेदक को लर्निग लाइसेंस आवेदन के समय तथा जिन कार्यालयों में लर्निग लाइसेंस का आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किया जाता है, उन प्रकरणो में ऐसे आवेदक को लर्निग लाइसेंस परीक्षा लेने से पूर्व आवश्यक रूप से यह पुस्तिका आवेदक को इस हेतु निर्धारित फीस प्राप्त कर दी जाये ताकि आवेदक सड़क सुरक्षा नियमों से विज्ञ हो सके।

2. ऐसे सभी मोटर ड्राईविंग स्कूल जिन्हे राज्य सरकार द्वारा लर्निग लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया गया है को भी उनके द्वारा माह में जारी किये जाने वाले लर्निग लाइसेंस की औसत सख्या के अनुरूप उक्त पुस्तिका आवश्यक रूप से संबंधित कार्यालय द्वारा ऐसे मोटर ड्राईविंग स्कूलो को जारी की जावे। इन स्कूलों को पुस्तिका जारी करते समय इनसे जारी पुस्तिकाओं की समस्त राशि अग्रिम रूप से वसूली जाये। ऐसे ड्राईविंग स्कूल के संचालको से यह अड़रटेकिंग भी ली जाये कि उनके द्वारा आवेदक को लर्निग लाइसेंस जारी करने से पूर्व उक्त पुस्तिका यातायात नियमों की जानकारी हेतु उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

उक्त आदेशों की कठोरता से पालना की जावें। पालना नही करने पर सबधिंत प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः– प.7 (51) परि/ नियम/मु/2011/36980-84 जयपुर दिनांक 05.6.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री , राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण/समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

5/6/2017

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)